

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 902 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 जयंती सीड्स एंड प्रोसेसिंग वेयरहाउस-32-36-45-56-03 बम्हौरीकलॉ
- 02 माँ भगवती वेयरहाउस-37 बम्हौरीकलॉ
- 03 जीवन वेयरहाउस-41 बम्हौरीकलॉ
- 04 जयभोले वेयरहाउस-47 बम्हौरीकलॉ
- 05 नंदकिशोर लॉजिस्टिक्स-46 बम्हौरीकलॉ
- 06 कृष्णा वेयरहाउस बम्हौरीकलॉ
- 07 जयशिव महादेव वेयरहाउस बम्हौरीकलॉ
- 08 शिवशंकर वेयरहाउस-50 बहारपुर

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संवध में ।

-00-


आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर
माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 903 / ज0प0 / पंचायत / 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत गोल एवं बहारपुर की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

JP LETTER 2024.DOCX E:DATA

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 904 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 राजपूत वेयरहाउस-29-42-56 गुराडियाकलां
- 02 मेसर्स साकेत वेयरहाउस-43 गुराडियाकलां
- 03 कनकधारा ला0जि0 वेयरहाउस-37-38 गुराडियाकलां
- 04 श्रीरंग वेयरहाउस-25 गुराडियाकलां
- 05 श्रीगोदा एगो भंडारण-26 गुराडियाकलां


विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संवध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

- 01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?
- 02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?
- 03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संसम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 905 / ज0प0 / पंचायत / 2024

प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत गुराडियाकलां की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:IDATA

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक/१०६ / ज०प०/पंचायत/ 2024

माखननगर,दिनांक 19.03.2024

प्रति,

-नोटिस-

- 01 दुर्गेश सीड्स एंड एग्रीटेक वेयरहाउस-25-39 पिपरिया रोड
- 02 राधाकृष्णा वेयरहाउस-07 पिपरिया रोड
- 03 श्रीकृष्णा एगो मार्केटिंग एंड वेयरहाउस-15 पिपरिया रोड
- 04 वृन्दावन वेयरहाउस-14 पिपरिया रोड
- 05 मीनेष वेयरहाउस-41 पिपरिया रोड
- 06 श्रीराम वेयरहाउस-47 शिवपुर
- 07 तेजसव वेयरहाउस-53-60 बुधवाड़ा

विषय :

ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संबंध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 'के म०प्र०ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा०पंचा० को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?


अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो० 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

माखननगर,दिनांक 19.03.2024

पृ० क्रमांक/१०७ / ज०प०/पंचायत/ 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत बुधवाड़ा / शिवपुर की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA



कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक/ 908 / ज0प0/पंचायत/ 2024

माखननगर,दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 श्रीसाई कांहा वेयरहाउस-31 सिरवांड रोड
- 02 मीनेष वेयरहाउस-1-2 सिरवांड रोड
- 03 श्री बालाजी वेयरहाउस-11 सिरवांड रोड
- 04 देव मीनेष वेयरहाउस-24 चीचली
- 05 चेतन वेयरहाउस-17-46 ग्राम फुरतला
- 06 करन अर्जुन वेयरहाउस 57 तालकेसली


विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संबंध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-


- 01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?
- 02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?
- 03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर
माखननगर,दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक/ 909 / ज0प0/पंचायत/ 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत सिरवांड/रैपुरा/तालकेशली एवं फुरतला की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 910 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 श्री विभूति वेयरहाउस-28 सांगाखेडाखुर्द
- 02 मेसर्स गुनीता वेयरहाउस-45 सांगाखेडाखुर्द
- 03 वेणु वेयरहाउस-50 सांगाखेडाखुर्द
- 04 मेसर्स कामनी वेयरहाउस-62 सांगाखेडाखुर्द
- 05 माधव वेयरहाउसिंग-63 सांगाखेडाखुर्द

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संबंध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर


माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 911 / ज0प0 / पंचायत / 2024

प्रतिलिपि -

01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।

02 सचिव ग्राम पंचायत सांगाखेडाखुर्द की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA



कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 912 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 श्री संगठन डेरिया वेयरहाउस-4-10 समौन
- 02 शिवमहिमा वेयरहाउस-03 समौन
- 03 महावीर वेयरहाउस-30 समौन
- 04 शिवकृपा वेयरहाउस-8 समौन
- 05 शिवभक्ति वेयरहाउस-35 समौन
- 06 श्रीहरि वेयरहाउस-66 समौन
- 07 मां नर्मदा वेयरहाउस-27 नंगवाडा

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संवध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी


जनपद पंचायत माखननगर

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 913 / ज0प0 / पंचायत / 2024

प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत समौन/बागलखेडी की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA



कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 914 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

प्रति,

-नोटिस-

- 01 आरती वेयरहाउस-56 आँखमउ
- 02 मेसर्स यादव वेयरहाउस-20 आँखमउ
- 03 मॉ नर्मदाकृपा एगो सर्विसेस-49 गूजरवाडा
- 04 बावा वेयरहाउस-32-54 गूजरवाडा
- 05 अर्पित वेयरहाउस-58 पिपरिया रोड आँखमउ
- 06 मेसर्स ललिता शंकर वेयरहाउस-65 काँजलखेडी
- 07 ममता वेयरहाउस आँखमउ
- 08 सावरिया वेयरहाउस आँखमउ

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संवध में ।


आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?


03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर
माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 915 / ज0प0 / पंचायत / 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत आँखमऊ/गूजरवाडा/काजलखेडी की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 916 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 संत श्री गुरुकृपा वेयरहाउस-52 मोहासा
- 02 अमृत डेरिया वेयरहाउस-18-2 बज्जरवाडा
- 03 शिवाय वेयरहाउस-60 बीकोर

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संबंध में ।

-00-


आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर
माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पू0 क्रमांक / 917 / ज0प0 / पंचायत / 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत मोहासा/बज्जरवाडा एवं बीकोर की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA



कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎ - (07574) - 259448

क्रमांक / 918 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

01 माँ काली वेयरहाउस-23 शुक्करवाडाफार्म

02 श्री राधे वेयरहाउस-09-36 शुक्करवाडाफार्म

विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संबंध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?

02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?

03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

पृ0 क्रमांक / 919 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत शुक्करवाडाफार्म की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर

कार्यालय जनपद पंचायत माखन नगर, जिला-नर्मदापुरम

ई-मेल -jpbabhosmp@mp.nic.in, ☎- (07574) - 259448

क्रमांक / 922 / ज0प0 / पंचायत / 2024

माखननगर, दिनांक 19.03.2024

-नोटिस-

प्रति,

- 01 उमंगश्री वेयरहाउस-67 सांगाखेडाकलों
- 02 एम.एस.व्ही वेयरहाउस-34 चांदला
- 03 अब्जपूर्णा वेयरहाउस-44 कढैया
- 04 ओमसाईराम वेयरहाउस-51 चीलाचोन
- 05 वर्षा वेयरहाउस-64 चीलाचोन
- 06 एकलव्य एगो केयर एंड वेयरहाउस-69 चीलाचोन
- 07 मॉनर्मदा वेयरहाउस-46 धानसी


विषय : ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय संचालन का स्थानीय/संपत्ति कर भुगतान के संवध में ।

-00-

आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत वेयरहाउस/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के म0प्र0ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के भाग-2 उपनियम 5 ग्राम पंचायत (भवनो के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियां 1999 के अनुसार भवन निर्माण या संनिर्माण परिनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तथा भाग-5 की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची अनुसार भूमि तथा भवनों पर कर की दर तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यवसाय कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। उक्त संबंध में आप निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें-

- 01 क्या आपके द्वारा भवन निर्माण करने के पूर्व स्थल का वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त की गई है?
- 02 क्या आपके द्वारा व्यवसाय के संचालन हेतु ग्रा0पंचा0 को नियमानुसार टैक्स/भवन निर्माण फीस जमा की गई है?
- 03 क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर संक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है?

अतः इस संबंध में आप दिनांक 26.03.2024 को दो0 12.00 बजे सुसंगत दस्तावेजों एवं समस्त जानकारियों सहित इस कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अनुपस्थिति अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत माखननगर
माखननगर, दिनांक 19.03.2024

पृ0 क्रमांक / 923 / ज0प0 / पंचायत / 2024
प्रतिलिपि -

- 01 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02 सचिव ग्राम पंचायत कढैया/गुढ़ला एवं सांगाखेडाकलां की ओर सूचनार्थ। भेजकर लेख है कि उपरोक्त नोटिस तामील कराकर पावती इस कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

JP LETTER 2024.DOCX E:\DATA